न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

सेशन ट्रायल नं0– 1065/2019
आर.सी.–4(एस)/2019/सीबीआई/एससीबी/लखनऊ
धारा–147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0– 810/2018

दिनांक 13.03.2023

अभियुक्त मो0 हमजा द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–43 उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी–43 अभियुक्त मो0 हमजा की ओर से उन्मोचन हेतु संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2018 को समय लगभग 11.00 बजे रात में लिखित शिकायत थाना कृष्णानगर लखनऊ में दर्ज कराई कि दिनांक 26.12.2018 को देवरिया जेल में कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा जो लोग अतीक अहमद को जानते थे, जिनके साथ उसका वित्तीय विवाद था। जिस पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–810/18 धारा धारा–147, 149,386, 329,420,467,468,471,394,506,सपठित धारा 120बी. भा0द0सं0 में दर्ज किया गया। प्रकरण में 6 व्यक्तियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया था। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है बल्कि उसे चौथी पूरक आरोप पत्र में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने सह अभियुक्त आमिर कुरैशी तथा अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए मो0 अरसान के परिचय पत्र के आधार पर धोखा देकर 4 मोबाइल सिम जारी करवाये जिनमें से एक सिम जिसका नं0 7985656065 है, का प्रयोग मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा अपराध करने में किया गया है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त आमिर कुरैशी के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद व अन्य सह अभियुक्तों को अपराध कारित करने में सहायता पहुॅचाई। उसके द्वारा किसी भी प्रकार से सिम का दुरूपयोग नहीं किया गया और न ही उसने अतीक अहमद को सिम उपलब्ध कराया है। उसका अतीक अहमद से कोई सम्पर्क नहीं है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा अतीक अहमद को सिम उपलब्ध कराया गया है। अभियोजन का यह स्वीकृत तथ्य है कि वह न तो जीओ कम्पनी का एजेंट है और अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई अगूंठा निशान नहीं लिया गया और न ही अन्य अभियुक्तों के साथ मिली भगत का कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है। आवेदक अभियुक्त न तो प्रकरण में लाभार्थी है और न ही उसने कोई अपराध किया है और न ही प्रकरण से सम्बन्धित कोई वस्तु उसके पास से बरामद हुआ है। वह निर्दोष है और उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त एक दुकानदार है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। उसके विरूद्व दर्ज कराई गई शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप बोगस व निराधार है। उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये बिना ही अविधिक तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद द्वारा मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग किया और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाडी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहॅा अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा उसे डरा धमका कर मारा पीटा गया तथा मोहित जायसवाल को धमकाते व डराते हुए उसकी फर्मो को अपने सहयोगियों जकी अहमद व मो0 फारूख

को बलपूर्वक कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व दिलवा दिया। शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल ने अपने बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में स्वीकार किया है कि सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने उसका अपहरण उसकी ही गाडी नं0 यू0पी032 जे आर 1804 फारच्यूनर से देवरिया जेल ले गये है, जहॉ उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया तथा बलपूर्वक डरा धमका कर कई दस्तावेजों पर उसके व उसकी बहन के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। दौरान विवेचना उक्त वाहन सह अभियुक्त इरफान व गुलाम मोइनुद्दीन सिद्दकी की अभिरक्षा से स्थानीय पुलिस द्वारा बरामद करते हुए अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया था।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि आवेदक अभियुक्त ने सह अभियुक्त आमिर कुरैशी तथा अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए मो0 अरसान के परिचय पत्र के आधार पर धोखा देकर 4 मोबाइल सिम जारी करवाये जिनमें से एक सिम जिसका नं0 7985656065 है, का प्रयोग मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा अपराध करने में किया गया है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त आमिर कुरैशी के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद व अन्य सह अभियुक्तों को अपराध कारित करने में सहायता पहुॅचाई।

सी0बी0आई0 का कथन है कि विवेचना के दौरान मो0 अरसान का धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 का साक्ष्य संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त जीओ कम्पनी से भी दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किया गया है। प्रकरण में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य संकलन कर विवेचनोंपरांत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा–147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी. भा0द0सं0 आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि उसे अरशान के बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है जबकि सभी कार्यवाही आमिर कुरैशी द्वारा की गई है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और न ही व अतीक अहमद व अन्य अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहा है। वह निर्दोष है और उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सी0बी0आई0 के लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक अभियुक्त ने सह अभियुक्त आमिर कुरैशी तथा अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए मो0 अरसान के परिचय पत्र के आधार पर धोखा देकर 4 मोबाइल सिम जारी करवाये जिनमें से एक सिम जिसका नं0 7985656065 है, का प्रयोग मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा अपराध करने में किया गया है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त आमिर कुरैशी के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद व अन्य सह अभियुक्तों को अपराध कारित करने में सहायता पहुॅचाई। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचनोंपरांत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पूरक आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है और अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***<u>स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659</u>*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या

संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था अजय अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 1993 ए.आई.आर. 1637 पर विश्वास व्यक्त करते हुए बल दिया गया है कि उक्त विधि व्यवस्था में आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि ''It is not necessary that conspirator must know all the details of the scheme nor be a participant as every state. "A conspiracy is a continuing offence and continues to subsist and committed wherever one of the conspirators does an act or series of facts."

विधि व्यवस्था प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008 (60) एसीसी 59 H.C.D.B. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरूद्व आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते है। इस प्रकरण में अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयत्र के अपराध के संदर्भ में स्पष्ट अभिमत देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि षडयंत्र में सम्मिलित व्यक्ति का सभी तथ्यों का जानना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक स्तर पर अपराध के सभी चरणें में सम्मिलित होना ही आवश्यक है।

इस प्रकरण में आवेदक अभियुक्त पर मुख्य आरोप यह है कि उसने सह अभियुक्त आमिर कुरैशी तथा अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए मो0 अरसान के परिचय पत्र के आधार पर धोखा देकर 4 मोबाइल सिम जारी करवाये जिनमें से एक सिम जिसका नं0 7985656065 है, का प्रयोग मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा अपराध करने में किया गया है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त आमिर कुरैशी के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद व अन्य सह अभियुक्तों को अपराध कारित करने में सहायता पहुॅचाई। ऐसे में यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में जिन मोबाइल सिम नम्बर का प्रयोग अपराध कारित करने में किया गया है, उक्त सिम को उपलब्ध कराये जाने में अभियुक्त की भूमिका रही हे। ऐसे में यह तर्क का कोई महत्व नही रह जाता है कि वह घटना के दिन देवरिया जेल में उपस्थित नहीं था या उसने शिकायतकर्ता के साथ कोई मारपीट आदि नहीं किया और न ही शिकायतकर्ता के अपहरण में उसकी कोई भूमिका है। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयंत्र के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से कथित किया है कि षडयंत्र के अपराध में हर व्यक्ति हर स्तर पर अपराध में सम्मिलित हो, यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकरण में भी अभियुक्त की भूमिका अपराध में प्रयुक्त सिम को उपलब्ध कराने में रही है और उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है।

ऐसे में उपरोक्त तर्को तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो कि इस स्तर पर उसके विरूद्व आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

उपरोक्त समग्र विवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त द्व ारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मो0 हमजा द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–43 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–13.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Digitally signed by AJAY VIKRAM SINGH
Date: 2023.03.13 16:43:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court